एचसीबीएल पिगमी जमा योजना

योजना का उद्देश्य : इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता प्रति ग्राहक से दैनिक आधार पर न्यूनतम ₹20.00/– परन्तु ₹10.00/– के गुणांक में अधिकतम ₹500.00/– (01.12.2014 से लागू) जमा–राशि का संग्रहण कर सकते हैं। यह योजना ग्राहकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने तथा निश्चित अवधि में धन–संचय कर उनको वित्तीय जरूरतों की पूर्ति में सहायक है।

कौन खताधारक बन सकता है?

योजना का लक्ष्य निचले मध्यम वर्गीय परिवार के लोग विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, रिक्शा चालक, फुटकर दुकानदार, छोटे व्यापारी, ठेले वाले, हाकर, पटरी दुकानदार आदि है।

कोई व्यक्ति जो बैंक द्वारा निर्धारित नियमों को पूरा कर सकता है, अपना खाता खोल सकता है, वशर्ते –

1. व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है। अवयस्क का खाता नैषर्गिक संरक्षक के अधीन खुल सकता है।
2. व्यक्ति जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत के0 वाई0 सी0 मानदंडो को पूरा करता हो।
3. खाता बैंक द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा ही खोला जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत – (अ) रिलैक्स्ड के0 वाई0 सी0 मानदंड तथा (ब) रेगुलर के0 वाई0 सी0 मानदंड के तहत खाता खुलेगा।

(अ) श्रेणी में खाता खोलने के लिए ग्राहक को पहचान तथा निवास के पते के लिए कागजात/प्रमाण–पत्र देना होगा जैसे –

(1) पहचान–पत्र आवेदक की फोटो सहित जिसे केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, विधिक/नियामक अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सार्वजनकि वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया जिसमें आवेदक का पता निर्दिष्ट किया गया है।

(प्राइवेट सेक्टर के बैंक, अनुसूचित/गैर अनुसूचित/वाणिज्य/सहकारी बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र खाता खोलने के लिए मान्य नहीं होंगे)

(2) राज्य पत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक की फोटो तथा पता प्रमाणित है।

रिलैक्स्ड के0 वाई0 सी0 के अन्तर्गत खोले गये खातों की स्थिति में खाता धारक में जमा सावधि खातों में सम्पूर्ण जमा राशि ₹50,000/— से अधिक नही होगी और वर्ष में खाता धारक के लेन देन का योग ₹1,00,000/— से अधिक नही होगा।

उपरोक्त सीमा से अधिक की जमाराशि अथवा लेन—देन की स्थिति में के0 वाई0 सी0 मानदंड की पूर्ति आवश्यक होगी।

(ब) श्रेणी के अन्तर्गत खातों के लिए के0 वाई0 सी0 के निर्धारित मानदण्ड जो पहचान और पते के लिए आवश्यक हैं, इस प्रकार के होंगे :

पहचान के लिए –

(1) पासपोर्ट

(2) पैन कार्ड

(3) मतदान पहचान कार्ड

(4) ड्राइविंग लाइसेंस

(5) नरेगा जॉब कार्ड

(6) आधार कार्ड के लिए यू डी ए आई द्वारा जारी पत्र

पते का प्रमाण –

(1) पास पोर्ट

(2) मतदाता पहचान कार्ड

(3) ड्राइविंग लाइसेन्स

(4) नरेगा जाब कार्ड

(5) अधार कार्ड के लिए यू0डी0ए0आई0 द्वारा जारी किया गया पत्र।

नोट : आधार—कार्ड पहचान एवं पते के प्रमाण हेतु पर्याप्त होगा।

एजेन्ट (अभिकर्ता) कौन बन सकता है?

- ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- जो स्वस्थ मस्तिष्क का है।
- जो किसी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं है और जो आपराधिक पृष्टभूमि का व्यक्ति नहीं है।
- बैंक के के0वाई0सी0 मानदण्डों की पूर्ति करता हो।
- शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल तक की हो।

एजेन्ट (अभिकर्ता) कैसे बना जा सकता है?

1. जो व्यक्ति उपरोक्त मानदंण्डो की पूर्ति करता है, उसे संलग्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. बैंक को स्वीकार्य दो व्यक्तियों की जमानत प्रस्तुत करनी होगी जिनकी के0वाई0सी0 पूर्ण हो।
3. शाखा प्रबंधक, जिस शाखा से एजेन्ट (अभिकर्ता) संबद्ध होगा, व्यक्तिगत जाकर आवेदक के निवास–पते का सत्यापन करेगा।
4. आवेदक के चरित्र का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा।
5. आवेदक को रू025,000/– की जमानत राशि जमा करनी होगी।
6. आवेदक को बैंक को स्वीकार्य रूपये पच्चीस–पच्चीस हजार की सावधि जमा के रूप में दो जमानतें देनी होगी। जमानतदार की सावधि जमा बैंक के पास बंधक रहेगी। इस सबके लिए जमानतदारों को बैंक के साथ अनुबंध करना होगा।
7. आवेदक के पास पैन कार्ड अवश्य होना चाहिए।
8. उसके पास अपना मोबाइल नं0 होना चाहिए जो इस प्रकार का होगा
    1. जावा इनबेल्ड,
    2. एम आई डी पी 2.0 सपोर्ट तथा
    3. न्यूनतम 500 तक के0बी0 सपोर्ट के साथ

नोट : जी0एस0एम0/डाटा सर्विसेज टेलिकाम सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त करनी होगी।

उसे एक बचत खाता खोलना होगा जिसमें न्यूनतम रू0 10,000/– जमा करना होगा और वह इसी सीमा तक ग्राहकों से दैनिक जमा संग्रह कर सकेगा। यदि अभिकर्ता की दैनिक संग्रहण–राशि

1. में वृद्धि होगी तो तद्नुरूप उसे अपने बचत खाते में भी वृद्धि करनी होगी ताकि वह संग्रहण राशि के अनुरूप हो सके। बचत–खाते में जमा राशि से अधिक का संग्रहण दैनिक आधार पर नहीं हो सकेगा। समय–समय पर बचत खाते में जमा राशि के स्तर की समीक्षा होगी। बचत खाते में राशि रू0 1,000/– के गुणांक पर होगी। अभिकर्ता को संग्रहण–राशि को दैनिक आधार पर उसी दिन ई–लॉबी अथवा दूसरे दिन पूर्वान्ह 10:30 बजे तक जमा करना होगा।

प्रचालन का ढ़ंग –

निम्नलिखित के अनुसार अभिकर्ता ग्राहक से संपर्क करेगा और प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

स्टेप – 1 : अप्लीकेशन फार्म को भरना

⇓

स्टेप – 2 : ग्राहक से के0वाई0सी0 आवश्यकता की पूर्ति करना

⇓

स्टेप – 3 : अभिकर्ता अपने मोबाइल हैण्ड सेट को अपने बायो–मेट्रिक थम्ब इम्प्रेशन द्वारा लाग–इन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक का पहले से बैंक में खता है या नहीं। यदि नही ंतो वह के0वाई0सी0 जरूरतों की पूर्ति करेगा।

⇓

स्टेप – 4 : नए ग्राहक के लिए–

ग्राहक का नाम, पता तथा जन्म–तिथि के साथ उसका आई.डी. बनाएगा खातें का खोलना

स्टेप – 4 : पुराने ग्राहक के लिए–

आई0डी0न0 डालेगा
नया खाता खुलेगा

(सब–एकाउन्ट की विधा नहीं है, नया एकाउण्ट नं0 देना होगा जबकि आई0 डी0 पूर्ववत् रहेगी।)

⇓

स्टेप – 5 : इसके पश्चात अभिकर्ता ग्राहक के अंगूठे का इम्प्रेशन मशीन में सुरक्षित करेगा। ग्राहक से जमा संग्रह प्रारम्भ करेगा।

⇓

स्टेप – 6 : एजेन्ट ग्राहक से जमा राशि प्राप्त करेगा और उसे प्रिन्टेड रसीद प्रदान करने पर ग्राहक का डी डी एस खाता तत्काल उतनी राशि से जमा हो जाएगा और तद्नुरूप अभिकर्ता डी डी एस खाते से उतनी राशि निकल जाएगी। यह प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब अभिकर्ता के तत्सम्बंधी खाते में प्रर्याप्त जमा राशि होगी तथा ग्राहक का खाता परिचालन अवस्था में होगा।

स्टेप – 7 : ग्राहक जमा –राशि के एवज में अभिकर्ता से प्रिन्टेड–रसीद (पावती) प्राप्त करेगा।

⇓

स्टेप – 8 : ग्राहक अभिकर्ता से तत्पश्चात् अपनी प्रथम पास बुक प्राप्त करेगा जो उसे एक सप्ताह के अन्दर मिल जाएगी। पासबुक कम्प्यूटरीकृत होगी। ग्राहक अभिकर्ता के माध्यम से अपनी पास–बुक 15 दिन के अन्तराल पर पूरा कराता रहेगा।

दैनिक जमा योजना की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ –

1. जमा का स्थानान्तरण एक शाखा से दूसरी शाखा में नहीं हो सकेगा।
2. केवल प्राधिकृत अभिकर्ता, जिसके पास बैंक द्वारा प्रदत्त पहचान–पत्र होगा, ही जमा–संग्रह कर सकेगा।
3. अभिकर्ता को कमीशन का भुगतान मासिक आधार पर निम्नवत होगा – (01.12.2014 से लागू) :

क्रम सं0	डी डी एस खातों के अनुसार अभिकर्ता	देय कमीशन
(अ)	100 परिचालित खातों तक	2.0 प्रतिशत
(ब)	100 से अधिक परन्तु 200 परिचालित खातों तक	2.5 प्रतिशत
(स)	200 से ऊपर के परिचालित खातों पर	3.0 प्रतिशत

   कमीशन का भुगतान टी डी एस कटौती के पश्चात होगा।
4. परिचालन से आशय है कि खाते में महीने में न्यूनतम 15 दिन की जमा प्रवृष्टियॉ हों।
5. यदि खाते में एक वर्ष से पूर्व अपरिपक्व–भुगतान किया जाता है, तो अभिकर्ता उस खाते में किसी कमीशन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अभिकर्ता को उस खाते में दिए गय कमीशन को अगले महीने के कमीशन से वसूल कर लिया जाएगा।
6. अभिकर्ता को कमीशन का भुगतान अगले महीने की 15 तारीख को किया जाएगा।
7. जिस राशि से ग्राहक का खाता खुलेगा वही राशि दैनिक आधार पर पूरी अवधि तक जमा की जाएगी और उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा । यदि खाते में निश्चित अवधि की राशि से अधिक जमा होगा तो अभिकर्ता को उस अधिक जमा पर कोई कमीशन नहीं देय होगा।

ग्राहक अपरिपक्व भुगतान कभी भी प्राप्त कर सकता है। परन्तु यदि ऐसे भुगतान में उसे छः महीने तक जमा की मूल राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त होगी। छः महीने के उपरान्त भुगतान लेने पर

1. उस अवधि में लागू ब्याजदर देय होगा। यदि अपरपक्वता भुगतान एक वर्ष के उपरान्त कराई जाती है तो उस अवधि के ब्याजदर के पूर्व वाली अवधि की ब्याज दर देय होगी। यदि खाता दो वर्ष अर्थात 24 माह पूर्व बन्द किया जाता है तो ब्याजदर उसके पूर्ववाली अवधि की देय होगी।
2. अभिकर्ता द्वारा जमा संग्रहण दैनिक आधार पर करना होगा।
3. योजना के अन्तर्गत ग्राहक को जमा–अवधि के दौरान ऋण सुविधा उपलब्ध है। वह जमा राशि का 90 प्रतिशत (5 प्रतिशत अतिरिक्त सचिव के अनुमति पर) तक ऋण प्राप्त कर सकता है जिसपर जमा अवधि अर्थात जितने समय के लिए खाता खोला गया है देय ब्याज के ऊपर चार प्रतिशत् अधिक ब्याजदर लागू होगी। ऐसी स्थिति में खाते की संपूर्ण जमा–राशि बैंक के पास बंधक रहेगी। यह सुविधा दिनांक 01.07.2013 से लागू है।

   नोट – ऋण प्राप्त करने हेतु कोई समय–बंधन नहीं है। ग्राहक किसी भी समय अपनी राशि के सापेक्ष ऋण प्राप्त कर सकता है।

4. खाते में लेन–देन ट्रान्सफर बैच में संपादित होंगे।
5. डुप्लीकेट प्रिन्टेड रसीद ग्राहक एवं अभिकर्ता के फिंगर–प्रिन्ट तथा पासवर्ड के माध्यम से पूर्ण होंगे।
6. किसी प्रकार की कठिनाई होने पर ग्राहक और अभिकर्ता बैंक के हेल्प–डेस्क नं0 पर संपर्क कर सकते हैं।
7. पास बुक अभिकर्ता द्वारा 15 दिन के अन्तराल पर पूरी करना अनवार्य है। यदि ग्राहक को 15 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होती तो वह बैंक के काल सेंटर अथवा निकटतम बैंक शाखा को सूचित कर सकता है।
   बैंक ग्राहक को त्रय–मासिक आधार पर उसके डी डी एस खाते का स्टेटमेंट प्रेषित करेगा।
8. जमा पर ब्याज निम्नलिखित के अनुसार देय होगा जो बैंक के बोर्ड के निर्णय के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ब्याज की गणना जमा राशि पर मासिक आधार पर होगी जो तिमाही आधार पर संयोजित एवं देय होगी।

<u>खाते की अवधि</u>		<u>ब्याजदर</u>
(अ) एक वर्ष अर्थात 12 माह के लिए	:	2 प्रतिशत
(ब) 2 वर्ष अर्थात 24 माह के लिए	:	3 प्रतिशत
(स) 3 वर्ष अर्थात 36 माह के लिए	:	4 प्रतिशत

नोट : जमा केवल उपरोक्त अवधि के लिए ही स्वीकार की जाएगी अर्थात 12, 24 तथा 36 माह के लिए ही। खंडित अवधि के लिए न तो खाता खुलेगा और न ही जमा स्वीकार होगी।

1. अभिकर्ता का नाम शाखा कार्यालय में निर्दिष्ट किया जाएगा और वह बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जिसे ग्राहक सत्यापित कर सकता है।
2. अभिकर्ता को इस योजना के तहत किसी प्रकार की ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मेगाबैकर मशीन की सुविधा 24x7 आधार पर उपलब्ध है, अतः अभिकर्ता संग्रहीत राशि को किसी भी समय जमा कर सकता है।
3. बैंक को योजना के नियमों एवं शर्तों को समय–समय पर संशोधन का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. दैनिक जमा के अन्तर्गत खोले गए सभी खातों को शाखा प्रबन्धक अधिकृति (अथराइज) करेगा और फार्म पर 'सीन एण्ड चेक्ड' की मोहर लगाएगा।

   के0वाई0सी0 सम्बन्धी कागजातों/प्रमाण पत्रों को अभिकर्ता मूल प्रति से 'देखा और सत्यापित किया' दर्ज करेगा और अपना हंस्ताक्षर करेगा। बैंक अधिकारी जांच कर इनका सत्यापन करेगा ओर वह भी अपना हस्ताक्षर करेगा।
5. बैंक अधिकारी अनिवार्य रूप से ग्राहक के निवास जाकर उसके पते तथ तद्नुरूप प्रस्तुत के0वाई0सी0 कागजातों/प्रमाण पत्रों को सत्यापित करेगा और संलग्नक–1 और 2 के अनुसार अपनी रिपोर्ट शाखा प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा। संलग्नक 3 में निहित निर्देश डी डी एस को –आर्डिनेटर और शाखा अधिकारियों के लिए है।

   ग्राहक के निवास पर बैंक अधिकारी उसे यह भली भॉति अवगत कराएगा कि वह अभिकर्ता को दी गई जमा राशि के एवज में तत्काल मशीन द्वारा प्रिन्टेड रसीद अवश्य प्राप्त कर ले।

6. डी0डी0एस0 को–आर्डिनेटर अथवा शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्धारित प्रारूप विजिट रिपोर्ट पर ग्राहक का भी हस्ताक्षर आवश्यक है। यह रिपोर्ट संबन्धित रिकार्ड के साथ संलग्न रहेगी।
7. एजेन्सी को समाप्त करने सम्बन्धी दिशा निर्देश – (19.11.2012 से लागू) :

   (अ) अभिकर्ता एवं बैंक के बीच अनुबंध की धारा 10 के अनुसार एक महीने की नोटिस देकर दोनों में कोई भी एजन्सी को समाप्त कर सकता है। तथापि बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय एजेन्सी समाप्त कर सकता है।

   (ब) एजेन्सी समाप्ति पर अभिकर्ता हैण्ड हेल्ड डिवाइस/प्रिन्टिंग मशीन तथा चार्जर जो चालू अवस्था में होने चाहिए और आई टी विभाग की संतुष्टि हो बैंक शाखा में जमा कर देगा।

   (स) बैंक द्वारा अभिकर्ता को दिया गया हैण्ड बैग भी वापस करना होगा जो सही दशा में हो।

(द) अभिकर्ता को दिए गये मोबाइल सेट का जो भी बकाया होगा, उसकी अभिकर्ता द्वारा अदायगी करनी होगी। यह सब बैंक द्वारा सावधि जमा की अदायगी अवमुक्त करने के पूर्व सुनिश्चित की जाएगी।

(य) एजेन्ट द्वारा उससे संबन्धित ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जिससे उन्हें दूसरे किसी अभिकर्ता को संग्रहण के लिए सौंपा जा सके और ग्राहकों के हित की रक्षा हो सके। इसकी बैंक शाखा स्तर पर जॉच और सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

(र) सावधि जमा राशि, अभिकर्ता के बचत खाते की राशि तथा जमानत की राशि का भुगतान बैंक के एच0 आर0 विभाग द्वारा जारी एन0ओ0सी0 के उपरान्त ही अवमुक्त होगी।